सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 304/2017 दायर दिनाँक 02.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. बादरखाँ पुत्र स्वर्गीय मोईदीन, आयु–80साल, जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. इस्लामबानो पत्नी मुनीरखाँ, 2. पतासीबानो पत्नी हिदायतखाँ, 3. यूसुफखाँ पुत्र बाबूखाँ, 4. रेहाना पत्नी फारूखखाँ पुत्र बाबूखाँ, 5. आदिल पुत्र स्वर्गीय फारूखखाँ पुत्र पुत्र बाबूखाँ, 6. अरमान पुत्र स्वर्गीय फारूखखाँ पुत्र पुत्र बाबूखाँ, (नाबालिग जरिये प्रतिवादी संख्या 04), 7. आयशाबानो पत्नी बाबूखाँ, 8. नवाबखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 9. शौकतखाँ पुत्र मुंशीखाँ पुत्र मोईदीन, 10. गुलशेरखाँ पुत्र मोईदीन, 11. महबूबखाँ पुत्र महफूलखाँ, 12. उमरदीन पुत्र महफूलखाँ, 13. मैनाबानो पुत्री महफूलखाँ, 14. शकीलाबानो पत्नी महफूलखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. भँवरलाल पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 16. सत्यनारायण पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 17. मदनलाल पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 18. लालीदेवी पत्नी स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 304/2017
दायर दिनाँक 02.11.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
बादरखाँ बनाम् इस्लामबानो वगैरा।

		19. कुलदीप पुत्र स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 20. जगदीप पुत्र स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 21. सुमन पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 22. भरत पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, (नाबालिग जरिये माता प्रतिवादी संख्या 21), 23. नरेन्द्र पुत्र भागीरथ पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 24. भँवरीदेवी पत्नी स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 25. युधिष्ठिर पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 26. छगन पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 27. विनोद पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 28. सुभाष पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 29. प्रेमसुख पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 30. मुकेश पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 31. सत्यप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 32. भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 33. रमेश पुत्र स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 34. जमना पत्नी स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 304/2017
दायर दिनाँक 02.11.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
बादरखाँ बनाम् इस्लामबानो वगैरा।

		35. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 36. विद्याप्रकाश पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 37. कविता पत्नी स्वर्गीय शिवभगवान पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 38. अजय पुत्र स्वर्गीय शिवभगवान पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 39. देवीलाल पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 40. वेदप्रकाश पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 41. योगेशकुमार पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 42. रामनिवास पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 43. भागूराम पुत्र भींवा, जाति–जाट, 44. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 45. शंकर पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 46. संजु पत्नी स्वर्गीय जेठाराम पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 47. अमन पुत्र स्वर्गीय जेठाराम पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, (नाबालिग जरिये माता प्रतिवादी संख्या 46), 48. जीवण पुत्र उदा, जाति–जाट, 49. हरजीराम पुत्र प्रभुराम, जाति–बावरी, 50. मनोहरलाल पुत्र सुखाराम, जाति–मेघवाल, 51. गोपी पुत्र भूरा, जाति–मेघवाल, 52. रामदेव पुत्र भूरा, जाति–मेघवाल, समस्त,निवासी–दीनदारपुरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,
		53. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी।

दिनाँक **06.02.2019**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद दीनदारपुरा में खेत खसरा नम्बर 309 रकबा 01.11 बीघा भूमि व खेत खसरा नम्बर 343 रकबा 01.00 बीघा भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 36.14 बीघा भूमि अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 52 की सहखातेदारी की भूमि है। नकल पेश है। चूँकि वादी वृद्ध व अस्वस्थ व्यक्ति है इसलिए वादी अपने पुत्र को जरिये आम मुख्त्यार के वाद में नियुक्त करता है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 52 का संयुक्त खातेदारी सुदा खेत खसरा नम्बर 309, 343 व 344 वाकै सरहद दीनदारपुरा में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का अलग–अलग हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। दर्ज खातेदार फारूखखाँ, मुशीखाँ, चुन्नीलाल, भागीरथ, बजरंग, शिवभगवान व बगसा फौत हो गये है जिनके वारिसान् को प्रतिवादी बनाया गया है।

वादग्रस्त भूमि में मौके पर पक्षकारान् भौतिकरूप से मौखिक बन्टवारा कर सींवें–नींवें कायम कर करीब पचास सालों से काबिजकाश्त हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा नहीं होने से दावा बाबत् बन्टवारा पेश है।

वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा विधिनुसार नहीं होने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को प्लॉटिंग करना चाहते हैं जिससे वादी को नुकशान हो जायेगा, इसलिए वादी वाद बाबत् बन्टवारा पेश किया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 304/2017
दायर दिनाँक 02.11.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
बादरखाँ बनाम् इस्लामबानो वगैरा।

दिनाँक 29.08.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि का बैचाण कर इससे बेदखली की धमकी देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है। तहसीलदार डीडवाना को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है मगर उनसे वाद में कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद दीनदारपुरा में वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा नजरीनक्शा में दर्शित माफिक निम्नानुसार किया जावेः–

1. खसरा नम्बर 309 रकबा 01.11 बीघा भूमि में से रकबा 09 बिस्वा 15 बिस्वांसी नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए से एच तक की भूमि व मार्क ए से बी तक 10 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जावे तथा खातेदारी बदस्तूर रखी जावे।
2. खसरा नम्बर 344 रकबा 36.14 बीघा में से रकबा 02.05 बीघा भूमि नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी को वादी के घोषित की जावे तथा शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 53 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के वादी बादरखाँ व सोहनराम के पेश हुए।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 343, 344, 309 व 316 की सत्यप्रतिपियाँ व मुख्त्यारनामा आम पेश किये हैं।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा पक्षकारान् अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिजकाश्त हैं जिसके अनुसार खातेदारी घोषित की जावे जो वादी अनतोष में वर्णित है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 304 / 2017
दायर दिनाँक 02.11.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
बादरखाँ बनाम इस्लामबानो वगैरा।

वाद का किसी पक्षकार ने कोई खण्डन नहीं किया है। वादी दावानुसार दावा डिक्री चाहते हैं जिसमें किसी पक्षकार की कोई आपत्ति पेश नहीं है। लिहाजा वाद वादी माफिक दावा डिक्री किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद दीनदारपुरा में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. **खसरा नम्बर 309 रकबा 01.11 बीघा भूमि में से,** नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच की भूमि रकबा 09 बिस्वा 15 बिस्वांसी की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाती है जिसमें मार्क ए से बी तक की 10 फुट चौड़ाई की भूमि रास्ते की भूमि रहेगी। इस खसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।
2. **खसरा नम्बर 344 रकबा 36.14 बीघा भूमि में से,** नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 02.05 बीघा की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाती है जिसमें मार्क ए से बी तक भुजा की लम्बाई 132 फुट की होगी। इस खसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **06.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमे इकबाली

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री पदमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या 304 / 2017 वाद दिनांक 02.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. बाबरखाँ पुत्र स्वर्गीय मोईदीन, आयु–80साल, जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. इस्लामबानो पत्नी मुनीरखाँ, 2. पतासीबानो पत्नी हिदायतखाँ, 3. युसुफखाँ पुत्र बाबूखाँ, 4. रेहाना पत्नी फारूखखाँ पुत्र बाबूखाँ, 5. आदिल पुत्र स्वर्गीय फारूखखाँ पुत्र पुत्र बाबूखाँ, 6. अरमान पुत्र स्वर्गीय फारूखखाँ पुत्र पुत्र बाबूखाँ, (नाबालिग जरिये प्रतिवादी संख्या 04), 7. आयशाबानो पत्नी बाबूखाँ, 8. नवाबखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 9. शौकतखाँ पुत्र मुंशीखाँ पुत्र मोईदीन, 10. गुलशेरखाँ पुत्र मोईदीन, 11. महबूबखाँ पुत्र महफूलखाँ, 12. उमरदीन पुत्र महफूलखाँ, 13. मैनाबानो पुत्री महफूलखाँ, 14. शकीलाबानो पत्नी महफूलखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. भँवरलाल पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 16. सत्यनारायण पुत्र

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 17. मदनलाल पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 18. लालीदेवी पत्नी स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 19. कुलदीप पुत्र स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 20. जगदीप पुत्र स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 21. सुमन पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 22. भरत पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, (नाबालिग जरिये माता प्रतिवादी संख्या 21), 23. नरेन्द्र पुत्र भागीरथ पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 24. भँवरीदेवी पत्नी स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 25. युधिष्ठिर पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 26. छगन पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 27. विनोद पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		जाति–ब्राह्मण, 28. सुभाष पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 29. प्रेमसुख पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 30. मुकेश पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 31. सत्यप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 32. भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 33. रमेश पुत्र स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 34. जमना पत्नी स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 35. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 36. विद्याप्रकाश पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 37. कविता पत्नी स्वर्गीय शिवभगवान पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 38. अजय पुत्र स्वर्गीय शिवभगवान पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 39. देवीलाल पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 40. वेदप्रकाश पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 41. योगेशकुमार पुत्र गोविन्दलाल,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार

		जाति–ब्राह्मण, 42. रामनिवास पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 43. भागूराम पुत्र भीवा, जाति–जाट, 44. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 45. शंकर पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 46. संजु पत्नी स्वर्गीय जेठाराम पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 47. अमन पुत्र स्वर्गीय जेठाराम पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, (नाबालिग जरिये माता प्रतिवादी संख्या 46), 48. जीवण पुत्र उदा, जाति–जाट, 49. हरजीराम पुत्र प्रभुराम, जाति–बावरी, 50. मनोहरलाल पुत्र सुखाराम, जाति–मेघवाल, 51. गोपी पुत्र भूरा, जाति–मेघवाल, 52. रामदेव पुत्र भूरा, जाति–मेघवाल, समस्त,निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 53. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 **R.T. Act.**

दिनाँक **06.02.2019**

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी और से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद दीनदारपुरा में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "ब्राईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. **खसरा नम्बर 309 रकबा 01.11 बीघा भूमि में से,** नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच की भूमि रकबा 09 बिस्वा 15 बिस्वांसी की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाती है जिसमें मार्क ए से बीं तक की 10 फुट चौड़ाई की भूमि रास्ते की भूमि रहेगी। इस खसरे की शेष भूमि की खातेदारी वदस्तूर जारी रहेगी।
2. **खसरा नम्बर 344 रकबा 36.14 बीघा भूमि में से,** नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 02.05 बीघा की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाती है जिसमें मार्क ए से बी तक भुजा की लम्बाई 132 फुट की होगी। इस खसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख .... को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner